रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

143 ] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2003/भाद्र 25, 1925
No. 143 ] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2003/BHADRA 25, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 15 सितम्बर, 2003

सं. टीएएमपी/37/2003-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ..ग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एसबीएम के माध्यम से कच्चे तेल के प्रहस्तन और पत्तन के अन्दर पीओएल के पोतांतरण के प्रशुल्क में संशोधन करने के लिए पारादीप पत्तन न्यास के प्रस्ताव को, एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, अनुमोदन प्रदान करता है।

पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) ——— आवेदक

## आदेश

(सितम्बर, 2003 के 10वें दिन पारित)

यह प्रकरण एसबीएम के माध्यम से कच्चे तेल के प्रहस्तन और पत्तन के अन्दर पीओएल के पोतांतरण के प्रशुल्क में संशोधन करने के बारे में पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. पीपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें कही हैं :-

(i) (क) पत्तन जलसीमा के अन्दर टैंकर/बल्क वाहक से जलयान में कार्गो के पोतांतरण और (ख) एसबीएम (नई सुविधा) के माध्यम से कच्चे तेल के प्रहस्तन के वर्तमान प्रशुल्क रु० 15.00 प्रति मीट्रिक टन को रु० 10.00 प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ii) पत्तन ने 12.7 मीटर ड्राफ्ट की नई तेल जेट्टी शुरू की है। प्रशुल्क में कटौती नए कार्गो को आकर्षित करने और नई सुविधा के लिए है।

(iii) न्यासी बोर्ड ने इस प्रस्तावित दर को अनुमोदित कर दिया है ; महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 53 के अधीन छूट देते हुए यह प्रस्तावित दर एक वर्ष की अवधि अर्थात 01-04-2003 से 31-03-2004 तक के लिए पहले ही लागू की जा चुकी है।

3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रियानुसार, पीपीटी का प्रस्ताव संबंधित उपयोगकर्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था।

4. इस प्रकरण की संयुक्त सुनवाई 29 जुलाई, 2003 को पीपीटी परिसर में की गई थी। इस संयुक्त सुनवाई में, पीपीटी और संबंधित उपयोगकर्ताओं ने अपने-अपने पक्ष प्रस्तुत किए थे।

5. इस प्रकरण में विचार-विमर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों और संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये विवरण हमारी वेबससाइट www.tariffauthority.org पर भी उपलब्ध हैं।

6. इस संयुक्त सुनवाई में, पीपीटी (i) पोतांतरण के लिए कच्चा तेल लाने वाले मदर जलयान पर एकमुश्त प्रभार वसूल करने की व्यवहार्यता और, (ii) प्रस्तावित एसबीएम पर दरें वसूल करने की जाँच करने तथा उपयोगकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श कर पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत करने और संशोधित प्रस्ताव तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गया था।

7. इस प्रकरण की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ से, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :-

(i) पीपीटी ने स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा उल्लेखनीय पूंजी लागत से बनाई गई नई तेल जेट्टी कार्गो के अभाव में लगभग बेकार ही पड़ी है। यह आशा करता है कि बंदरगाह शुल्क में कमी करने से कच्चे तेल के पोतांतरण को प्रोत्साहन मिलेगा। चूंकि इस समय कोई पोतांतरण यातायात प्रहस्तित नहीं हो रहा है, इसलिए पत्तन के राजस्व के किसी भी भाग पर प्रस्तावित कमी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

(ii) पीपीटी ने एसबीएम को भी तेल जेट्टी के साथ जोड़ने का प्रस्ताव किया है। जैसाकि पेट्रोलियम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है, एसबीएम भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और इस सुविधा के प्रचालनात्मक बनने में और तीन वर्ष लग सकते हैं। पत्तन द्वारा सृजित सुविधा और उपयोगकर्ता द्वारा विकसित किए जाने वाले ढाँचे दोनों के लिए समान दर वसूल करने का कोई औचित्य नहीं है। पीपीटी ने बाद में इस अन्तर को स्वीकार किया और प्रस्तावित एसबीएम के लिए पृथक दर निर्धारित करने का निर्णय लिया।

(iii) जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, दरमान में कच्चे तेल के पोतांतरण के लिए एक अनुमोदित दर उपलब्ध है। व्यवसाय को आकर्षित करने के लिए ही कमी करने का प्रस्ताव किया गया है। यह पत्तन का वाणिज्यिक निर्णय है।

(iv) यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि भारत सरकार ने महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अधीन इस प्राधिकरण को दरमान अधिकतम दरों के रूप में निर्धारित करने के लिए नीति निदेश जारी किया है ताकि महापत्तनों को, यदि वे ऐसा चाहें तो, कम की गई दरों पर वसूली करने का अधिकार मिल सके। सरकार की नीति को कार्यान्वित करने के लिए, इस प्राधिकरण ने हाल ही में 28 अगस्त, 2003 को आदेश पारित किया है और सभी महापत्तन न्यासों को अपने-अपने दरमान में यह सामान्य सशर्तता शामिल करने का निदेश देते हुए भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है कि दरमान में निर्धारित दरें अधिकतम दरें हैं ; इसी प्रकार, कटौतियां और छूट निम्नतम हैं। पतन न्यास, यदि वह ऐसा चाहे तो, निम्नतर दरें वसूल कर सकता है और/अथवा अधिक कटौतियां और छूट प्रदान कर सकता है। चूंकि दरमान में शामिल संशोधन पत्तन को अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर कटौती की गई दरें वसूल करने का आवश्यक अधिकार प्रदान करता है, इसलिए इस प्राधिकरण को कच्चे तेल की दर में विशिष्ट कटौती करने और इसे अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं है।

(v) कच्चे तेल के पोतांतरण प्रचालन के लिए एकमुश्त दर का निर्धारण करने पर तब अलग से विचार किया जाएगा जब पत्तन उपयोगकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श कर उपयुक्त प्रस्ताव भेजा जाएगा।

8. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण पारादीप पत्तन न्यास के इस प्रस्ताव को अनावश्यक मानकर इसका निपटान करता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/III/V/143/03-असाधारण]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 15th September, 2003

**No. TAMP/37/2003-PPT.**—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Paradip Port Trust for revision of tariff for handing of crude oil through SBM and transhipment of POL inside the port as in the Order appended hereto.

**The Paradip Port Trust** ---- **Applicant**

## ORDER

(Passed on this 10th day of September 2003)

This case relates to a proposal received from the Paradip Port Trust (PPT) about revision of tariff for handling of crude oil through SBM and transhipment of POL inside the Port.

2. The PPT has made the following points in its proposal: